(क) क्या यह सच हैं कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कोई कार्यकलाप आरंभ करने से पहले बैंको में रखी गई इस योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि को खर्च करने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं;

(ख) क्या यह सच हैं कि कुछ स्थानों पर उक्त ब्याज-राशि संबंधित सांसदों की सिफारिश पर खर्चे की जा रही हैं, परन्तु ऐसे निदेशों के अभाव में इसे अन्य स्थानों पर आयुक्तों/जिलाधीशों द्वारा खर्च नही किया जा रहा हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ब्याज की इस राशि को संबंधित सांसदों की सिफारिश पर विकास कार्यों पर खर्च करने के संबंध में स्पष्ट निदेश जारी करने का विचार रखती हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेशवर सवनूर) : (क) से (ग) सभी जिला कलेंक्टरों को निदेश दिया गया हैं कि चाहे कोई भी प्रयोजन हो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग न करें। तथापि, ऐसे कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई हैं जिनमें ब्याज की राशि का उपयोग किया गया हैं। संबद्ध जिलार कलेक्टरों को कहा गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि में से खर्च की हुई राशि लौटाकर उसकी अनुपूर्ति करें। ब्याज की राशि के उपयोग से संबंधित मामला सरकार के विचारधीन हैं।

विलम्ब से चल रही परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

268. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1996 के अंत में देश में निर्माणधीन 100 करोड़ रूपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का क्या ब्यौरा क्या हैं;

(ख) तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं में से उन परियोजनाओं की संख्या कितनी हैं जो अपने मूल निर्धारित समय से पीछे चल रही है, जिसके परिणास्वरूप लागत में वृद्धि हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के संबंध में कोई मूल्यांकन किया हैं; और

(ड़)यदि हां, तो इसकी वजह से प्रत्येक मंत्रालय पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्न माला देहरेश्वर सवनूर) : (क) से (ड.) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पास उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार दिनांक 31-12-1996 तक 100 करोड़ रूपए तथा उनसे अधिक की लागत वाली 199 परियोजनाएं थीं। उन 199 परियोजनाओं में से 122 परियोजनाएं अपने मूल निर्धारित समय से पीछे चल रहीं थी। विलंबित परियोजनाओं के कारण लागत में 39885 करोड़ (उन्नतालिस हजार आठ सौ पचासी करोड़) रूपए की वृद्धि हुई । निर्माणधीन परियोजनाओं का मंत्रालय-वार ब्यौरा एवं लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय भर अनुपत्र में दिया गया हैं। (देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 8)

असंतुलित विकास की समस्या

269. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भी असंतुलित विकास की स्थिति विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) क्या सरकार ने नवीं पंचवर्षीय योजना बनाने से पहले असंतुलित विकास की समस्या तथा उसके कारणों के संबंध में सूचना एकत्र की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा सरकार नवीं पंचवर्षीय योजना में असंतुलित विकास को रोकने के लिए क्या-क्या नए कदम उठाने का विचार रखती हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेशवर सवनूर) : (क) से (ग) किसी क्षेत्र की आयोजना एवं विकास सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व हैं, फिर भी केन्द्र सरकार संशोधित गाडगिल फार्मूले, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तथा वित्त आयोग द्वारा गैर योजना संसाधनों के हस्तान्तरण के अन्तर्गत संसाधनों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों की मदद करती हैं;

क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना योजना प्रक्रिया का एक अनिवार्य उद्देश्य हैं, फिर भी इन उद्देश्य के क्रियान्वयन में क्षेत्र की कुछ अन्तर्निहित, ऐतिहासिक एवं

अन्य विशेषताओं जैसे संसाधनों की स्थायी निधियों में भिन्नता, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलबधता में असमानता, भू-आकंतिक कारक तथा भौगोलिक दशाओं के कारण मन्दता आती हैं।

(ङ) नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र ने सहकारी संघवाद के ढांचे का सुझाव दिया है जिसमें पड़ोसी राज्य समन्वित तरीके से, अपने-अपने पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु साझा रणनीतियां अपनायेंगे। पिछड़े क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने तथा परिवहन एवं संचार के संदर्भ में सुधरी हुयी सम्पर्कता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष राष्ट्र के मध्य एकता की भावना में वृद्धि करने पर जोर दिया गया हैं;

गुजरात को आर्थिक सहायता

270. **श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता धनराशि में केवल दस प्रतिशत की वृद्धि की गई थीं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात को प्रदान की गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष-वार कितनी सहायता धनराशि की वृद्धि की गई;

(घ) क्या उक्त वर्षों के दौरान औद्योगिक श्रम लागत सूचकांक लगातार बढ़ा हैं; और

(ङ) यदि नहीं , तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के

दौरान उक्त औद्योगिक श्रम लागत सूचकांक में वर्ष-वार हुई वृद्धि-दर कितनी थी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेशवर सवनूर) : (क) से (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सरकार को योजना अवधि हेतु तय 995.05 करोड़ रू0 की राशि के मुकाबले 1385.49 करोड़ रू0 की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी। सहमति स्तर की तुलना में केन्द्रीय सहायता में वास्तविक वृद्धि 39.23 प्रतिशत बैठती हैं, आठवीं योजना के दौरान राज्य को दी गयी निबल सामान्य केन्द्रीय सहायता के वर्ष वार ब्यौरे निम्ननुसार हैं;

वर्ष	निबल सामान्य केन्द्रीय सहायता (रू0 करोड़)
1992-93	174.79
1993-94	235.00
1994-95	246.69
1995-96	331.08
	1385.49

(ग)योजना आयोग राज्यों की वार्षिक योजनाओं को ब्लॉक अनुदान एवं ऋण प्रदान करता हैं, यह कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करता हैं;

(घ) और (ड.) आठवीं योजना हेतु औद्योगिक श्रम लागत अनुक्रमाणिक उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि, 1990-91 से 1992-93 हेतु उपलब्ध औसत औद्योगिक श्रम लागत निम्नुसार हैं;

वर्ष	प्रति श्रम दिवस की औसत श्रम लागत (रू0)
1990-91	109.09
1991-92	125.23
1992-93 (पी)	134.53

देश में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं

271. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी उन्मूलन के लिए सिंचाई जा रही योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या यह सच हैं कि देश में चलाई जा रही गरीबी उन्मूलन योजनाओं का गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के माध्यम से ऊपर लाए गए गरीब लोगों की संख्या कितनी हैं; और

(घ) उक्त योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?